

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पोपटलाल पुत्र श्री ताराचन्द जी राणावत, रावलों का बास, बिजोवा, तहसील रानी, जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देसूरी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 75/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/292 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>23.06.22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 14.04.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी ने अपने कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2022/1265 दिनांक 17.06.2022 द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत देय नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट को भी इस कार्यालय द्वारा अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।</li> </ol> <p>(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	